भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1953

10 मार्च, 2026 के लिए प्रश्न

उचित मूल्य की दुकानों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना

1953. श्री उज्जवल देवराव निकम:

श्रीमती रेखा शर्मा:

श्रीमती किरण चौधरी:

श्री एस. सेल्वागनबेथी:

श्री रायगा कृष्णैया:

श्री नारायण कोरागप्पा:

श्री अशोकराव शंकरराव चव्हाण:

श्री लहर सिंह सिरोया:

श्री सदानंद महालू शेट तानवड़े:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय उचित मूल्य की दुकानों (राशन की दुकानों) में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए नई पहल आरंभ करने पर विचार कर रहा है ताकि राशन बिना किसी गड़बड़ी के सही लाभार्थियों तक पहुंच सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राशन संबंधी शिकायतों का शीघ्र, पारदर्शी तरीके से और जवाबदेही के साथ समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी- आधारित शिकायत निवारण प्रणालियों को कैसे मजबूत किया जा सकता है;

(घ) क्या केंद्र सरकार की समीक्षा के बाद राशन कार्डों की आधार सीडिंग और ई-केवाईसी में सुधार हुआ है और इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है;

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या आधार-अधिप्रमाणित खाद्यान्न वितरण में वृद्धि हुई है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पूर्ण कवरेज प्राप्त करने के लिए कौन-से कदम उठाने की योजना है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) और (ख): सरकार ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि सब्सिडीयुक्त खाद्यान्न सही लाभार्थियों तक पहुंचे, प्रौद्योगिकी आधारित कई पहलें की हैं।

प्रमुख उपायों में राशन कार्ड/लाभार्थी डाटाबेस का 100% डिजिटलीकरण, 99.7% से अधिक राशन कार्डों को आधार से जोड़ने और लगभग 5.50 लाख (99.8%) उचित दर दुकानों (एफपीएस) का इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (ईपीओएस) उपकरणों के साथ स्वचालन शामिल है, जो पारदर्शी वितरण के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण को सक्षम बनाता है।

इसके अलावा, राशन कार्डों की राष्ट्रव्यापी सुवाह्यता (पोर्टबिलिटी) के लिए एक राष्ट्र एक कार्ड (ओएनओआरसी), शिकायत निवारण प्रणाली और पीडीएस प्रचालनों के आधुनिकीकरण के लिए चल रही स्मार्ट-पीडीएस योजना जैसी पहलें निगरानी को मजबूत करने, भ्रष्टाचार को कम करने और देश भर में सेवा वितरण में सुधार करने के लिए लागू की जा रही हैं।

(ग) विभाग ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में शिकायत निवारण को सुदृढ़ करने के लिए कई कदम उठाए हैं। प्रमुख पहलों में शामिल हैं:

1. शिकायत निवारण प्रणालियों को सुदृढ़ करना

- सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 1967/1800 श्रृंखला की टोल-फ्री हेल्पलाइन की सार्वभौमिक उपलब्धता।
- अन्न सहायता, एक उन्नत एआई-सक्षम व्हाट्सएप और आईवीआरएस-आधारित शिकायत निवारण प्रणाली की शुरुआत, जिससे लाभार्थी अपनी भाषा में शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
- मेरा राशन मोबाइल ऐप, जिससे लाभार्थी अपनी पात्रता, सदस्य और जनसांख्यिकीय विवरण, पिछले माह के वितरण की स्थिति, नजदीक के एफपीएस स्थान का पता लगा लगा सकते हैं और सीधे ऐप के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

2. सीपीग्राम के माध्यम से बेहतर निगरानी

- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और सभी संबंधित संगठनों को सीपीग्राम के तहत निर्धारित 21-दिन की शिकायत निपटान समयसीमा का सख्ती से पालन करने के लिए जागरूक किया गया है।
- सीपीग्राम डैशबोर्ड के माध्यम से लंबित शिकायतों की नियमित रूप से निगरानी की जाती है।

...3/-

- राज्यों को मासिक परामर्शिका जारी की जाती है ताकि शिकायतों का एकसमान और समय पर समाधान हो सके। जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में शिकायतें लंबित हैं, उन्हें विशेष रूप से सुधारात्मक कार्रवाई के लिए चिह्नित किया जाता है।

- ये कदम सामूहिक रूप से शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करते हैं, पारदर्शिता बढ़ाते हैं, राशन कार्ड डाटाबेस में सुधार सुनिश्चित करते हैं और यह सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि सभी लाभार्थियों को समय पर और पारदर्शी तरीके से उनकी उचित पात्रता के अनुरूप खाद्यान्न मिल सके।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 के तहत, पात्र लाभार्थियों की पहचान, राशन कार्ड अभिलेखों का रखरखाव और अद्यतन, और लाभार्थी विवरणों के प्रबंधन की जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। तदनुसार, लाभार्थी विवरणों जैसे नाम, परिवार संरचना या जनसांख्यिकीय विवरण में कोई भी सुधार, संशोधन या अद्यतन संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अधिकारियों द्वारा उनकी निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार किया जाता है।

(घ) और (ङ): केंद्र सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित समीक्षा और निगरानी के बाद राशन कार्डों की आधार सीडिंग और ई-केवाईसी में सुधार हुआ है।

राशन कार्डों की आधार सीडिंग फरवरी 2025 में 99.3% से बढ़कर फरवरी 2026 में 99.7% हो गई है। इसी प्रकार, लाभार्थियों की ई-केवाईसी फरवरी 2025 में लगभग 76% से बढ़कर फरवरी 2026 में 87.37% हो गई है, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लाभार्थी प्रमाणीकरण को मजबूत करने में निरंतर प्रगति को दर्शाती है।

(च) और (छ): सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्नों के आधार-प्रमाणित वितरण में पिछले वर्ष की तुलना में सुधार हुआ है। आधार-प्रमाणित लेन-देन का भाग फरवरी 2025 में 94.42% से बढ़कर फरवरी 2026 में 98.75% हो गया है।

सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ मिलकर उचित दर दुकानों पर ई-पीओएस उपकरणों के व्यापक उपयोग, लाभार्थियों के आधार पंजीकरण और ई-केवाईसी को पूरा करने के माध्यम से कवरेज को और बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है, ताकि देश में लगभग 100% आधार-प्रमाणित वितरण प्राप्त किया जा सके।
